International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 10 Issue 2, Mar-Apr, 2022, Impact Factor: 7.326

सरकार की आर्थिक जनकल्याणकारी योजनाओं का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभाव का अध्ययन (2010 से 2020 तक)

डॉ. सुचित्रा दिवाकर

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.)

प्रस्तावना–

भारत मूलतः गांवों का देा है। देा में फैले लगभग साढे पांच लाख गांवों में 75 करोड़ से भी अधिक लोग निवास करते है। देश की प्रगति के लिए प्रभावी ग्रामीण विकास एक अहम और मूलभूत आवश्यकता है। इस बात से आप सभी सहमत है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना हमारा राष्ट्रीय विकास अधुरा ही रहेगा। ग्रामीण विकास से हमारा तात्पर्य मूल रूप से तीन प्रमुख मुद्दों से है, जिनमें पहला है–वहाँ व्याप्त गरीबी को दूर करने हेतु रोजगार के अवसर पैदा करना, दूसरा–गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली तथा आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना और तीसरा है–देश के शासन में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उनमें चेतना और जागरूकता का संचार करना। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति के खर्चे के अनुपात में कमाई के साधन काफी कम है जिससे इनकी मूलभूत आवश्यकताएँ भी पूर्ण नहीं हो पाती है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकारों द्वारा ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न सरकारी योजनाएं लागू की जाती है। रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार प्रदान कर लोगों की स्थिति को सुधारने के प्रयास किये जा रहे है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाने हेतु कृषि एवं श्रम को मुख्य साधन मानते हुए भूमि सुधार कृषि–लागत, खेती में मशीनीकरण, मनरेगा जैसी अनेक योजनाएँ लागू की है। समय समय पर आवास योजना, उचित मुल्य की दुकाने, शिक्षा को बढावा देने हेतु छात्रवृति योजनाएँ भी क्रियान्वित की जाती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार किया जा सकें अमृत्य सेन ने अपनी पुस्तक **"आर्थिक विकास और स्वातन्त्रय" राजपाल एण्ड सन्स, नई दिल्ली 2014** में प्रकाशित सभी सामाजिक समस्याओं के निदान एवं निराकार में विविध प्रकार के स्वातन्त्रयों की भूमिका को समझने का प्रयास किया है। प्रस्तुत शोध के अन्तर्गत हमने ''सन 2010 से 2020 तक सरकारों की आर्थिक जनकल्याणकारी योजनाओं का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभाव एवं नवीन प्रवर्तियों को लिया है।

सरकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों कि लिए बहुत सी योजनाएँ बनाई जाती है, परन्तु उन योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। इस अध्ययन विषय का चुनाव इसलिए किया गया है जिससे सरकारों द्वारा बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं के गुण व दोषों का पता लगाया जा सके। इस का ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभाव तथा वास्तविकता में योजनाओं का पूर्ण लाभ लोगों को मिल पाता है, इसका अध्ययन कर प्रभावी ढंग से योजनाओं को क्रियान्वित करने के सुझाव प्रस्तुत किए जा सकें। इन योजनाओं की कमियों को दूर कर हर एक पात्र व्यक्ति तक इनकी पहुंच को सुनिशचित कर ग्रामीण विकास को गति प्रदान कर सकें।

महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक कल्याण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। जिसमें महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हो सकें, तथा सामाजिक स्तर पर भी उन्हें समानता प्राप्त हो सके। केन्द्र सरकार ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा महिला को दिशा देने का प्रयास किया है। **राष्ट्रीय महिला कोष, राष्ट्रीय महिला आयोग, बिल योजना नारोड़ प्रशिक्षण योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, महिला स्वयंसिद्धा योजना, किशोरी शक्ति योजना, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना, महिला समृद्धि योजना, जननी सुरक्षा योजना, वन्दे मातरम् योजना आदि इसके अलावा केन्द्र ने राज्य के सहयोग से**

कन्यादान योजना, कन्या विद्याधन योजना, पंचधारा योजना, इन्दिरा सूचना शक्ति योजना, राजलक्ष्मी योजना, कामधेनु योजना, राजराजेश्वरी बीमा योजना आदि का संचालन किया है। महिलाओं के विकास हेतु चलाई जा रही निम्न योजनाएँ इस प्रकार हैं।

महिला समृद्धि योजना – यह योजना 2 अक्टूबर 1993 से प्रारम्भ हुई इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं में आर्थिक स्वतन्त्रता आत्मविश्वास एवं बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाना है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की व्यस्क महिला अपने डाकघर में रूपये 4 अथवा गुणांक किन्तु अधिकतम 300 रूपये से खाता खोल सकती है जिस पर एक वर्ष की अवधि के पश्चात 25 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है।

कृषक वृद्धावस्था पेन्शन योजना– उत्तर प्रदेश में अपने नए संशोधित रूप में यह योजना 2 अक्टूबर, 2003 से लागू की गई है। इस योजना पर प्रति वर्ष 227 करोड़ रूपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

सुकन्या समृद्धि योजना– 22 जनवरी 2015 से यह योजना लागू है। इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढावा देना है यह योजना उन महिलाओं की मदद करती है जो घरेलू हिंसा या किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं।

फ्री सिलाई मशीन योजना– यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो सिलाई–कढ़ाई में रूचि रखती हैं इस योजना का लाभ देश की ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएँ उठा सकती हैं। भारत सरकार की ओर से हर राज्य में 50000 से अधिक महिलाओं को निशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की गई हैं।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना– यह योजना 1 मई 2016 से प्रारम्भ की गई। इस योजना से अर्थिक रूप से कमजोर गृहणियों को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई जाती है अब तक देश में 8.3 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम– इस योजना का प्रारम्भ 1991 में फतेहपुर में किया गया था इसके अन्तर्गत 15–35 आयु वर्ग की अनपढ़ महिलाओं को साक्षर बनाना गया था। ये कार्यक्रम माइक्रो लर्निंग के माध्यम से कई जिलों में प्रसारित किया गया।

निराश्रित विधवा (पेंशन) भरण–पोषण अनुदान– इस योजनाओं के अन्तर्गत ऐसी विधवाओं जिनकी आयु 18–60 वर्ष तक है तथा जिनकी मासिक आय रू. 1000/से अधिक नहीं है और पुत्र या पौत्र 20 वर्ष से अधिक न हो उनके भरण–पोषण तथा बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु 800 रू. प्रतिमाह पेंशन अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

कन्या विद्या धन योजना– इस योजना का प्रारम्भ ग्रामीण एवं शहरी तबके की गरीब बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किया गया था। गरीब दलित व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं को चयनित किये जाने का प्रावधान रखा गया। इन चयनित छात्राओं में जो आगामी वर्षों में कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण कर पायेंगी तो उनमें से प्रत्येक को 20 हजार रूपये की एकमुश्त धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जायेगी। इस महत्त्वाकांक्षी योजना पर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 200 करोड़ रूपये की धनराशि खर्च करेगी।

उद्देश्य

जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य मानव को लाभ पहुँचाना होता है। पर क्या सही मायने में यह संभव है। सभी आमजनों का यही मानना है कि योजनाएँ केवल कागजों में बनती हैं अमल में नहीं लाई जाती। शोध अध्ययन का महत्व है कि इन योजनाओं की खूबियों और खामियों का पता लगाकर यह सुनिश्चित किया जाए

कि ग्रामीण महिलाओं पर इन योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है। कमियों का पता लगार इनमें सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है ताकि इनको और प्रभावी बनाया जाए तथा सामाजिक समरस्ता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। पूर्व में भी इस विषय पर शोध किया गया है परन्तु उचित निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इसलिए इस विषय पर शोध किया जाना अनिवार्य है ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद व्यक्तियों को इनका लाभ मिल सके। इस शोध अध्ययन के निम्न उद्देश्य इस प्रकार हैं।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं पर जनकल्याणकारी योजनाओं का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई योजनाएँ अपने उचित महत्त्व को प्राप्त कर पाई है, इसकी वास्तविकता अध्ययन।
3. आर्थिक रूप से कमजोर, अशिक्षित, बेसहारा, विधवाओं तथा वृद्ध महिलाओं को आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं से लाभ का अध्ययन।
4. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जारी योजनाओं में सुधार की सम्भावनाएँ तथा नवीन प्रवृतियों का अध्ययन।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं को लागू करवाने में त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था तथा सरकारी एजेंसियों की भूमिका का अध्ययन करना।
6. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं के महत्त्व को स्पष्ट करना।

सुझाव

1. इन योजनाओं का लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा है या नहीं इसकी समय–समय पर जाँच की जाये।
2. ग्रामीण स्तर पर एक ऐसी समिति का निर्माण किया जाये जो इन योजनाओं के सम्बन्ध में ग्रामीण महिलाओं को जानकारी देती रहें।
3. इस समिति में महिलाओं से सम्बन्धित जानकारी हेतु महिला अधिकारी ही नियुक्त की जायें।
4. इन महिला अधिकारियों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाये व समय पर वेतन दिया जाये जिससे कि ये मन लगााकर कार्य कर सकें।
5. इन योजनाओं का लाभ उठाने वाली महिलाओं को इन योजनाओं से सम्बन्धित जागरूकता प्रदान की जाये।
6. अशिक्षित महिलाओं के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाये जिससे कि उन्हें इन योजनाओं का महत्त्व समझाया जा सके।
7. सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए निर्धारित धनराशि का दुरुपयोग करने वालों के लिए दण्ड की उचित व्यवस्था की जाये।
8. इन योजनाओं से महिला सशक्तिकरण में कितनी वृद्धि हुई है इसकी भी जानकारी सरकार के पास लिखित दस्तावेजों में होनी चाहिए।

सन्दर्भ–सूची

[1]. व्यास शैलेन्द, (2013) भारतीय समाज के मुद्दे एवं समस्याएँ निखिल पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स आगरा।
[2]. अग्रवाल उमेश चन्द्र, (2011) ग्रामीण निर्धनता अन्मूलन, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
[3]. बावेल डॉ.बंसती लाल, (2011) पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
[4]. अग्रवाल दिलीप, (2011) समाज कार्य एवं जन कल्याण, पिज्म दुम्स, जयपुर ।
[5]. आहूजा राम, (2008) सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, रावल पब्लिकेशन्स, जयपुर।
[6]. गाबा ओ.पी. (2004), राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा, मयूर पेपर बेक्स, नोयडा।
[7]. पाण्डेय जय नारायण, (2004) भारत का संविधान, जैन लॉ हाउस, लखनऊ।

[8]. सेन अमर्त्य (2002) डवलपमेन्ट इज फ्रीडम, ऑम्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
[9]. बसु डी.डी. (2002) भारत का संविधानः एक परिचय, वाधवा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली।
[10]. .अवस्थी ए.पी. (2001) विकास प्रशासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा।
[11]. उपाध्याय जी., शर्मा आर.एल., एवं दयाल पी. (2000) व्यवस्था, समाज और सरकार रमेश बुक डिपो जयपुर।

मुख्य–शब्द

1 आर्थिक कल्याणकारी योजनाएँ
2 मशीन
3 शिक्षा
4 योजनाएँ
5 बेसहारा, विधवाओं
6 ग्रामीण स्तर
7 पंचायती राज व्यवस्था
8 शिक्षक
9 सरकारी एजेंसियों
10 साक्षरता
11 शोषण
12 शैक्षणिक स्थिति
13 अशिक्षित
14 महत्त्वाकांक्षी
15 नियुक्ति
16 धनराशि
17 समिति